

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न थानों द्वारा सराहनीय कार्यों का विवरण है-

थाना-रानी की सराय**नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त 24 घण्टे में गिरफ्तार**

दिनांक 18.11.20 को थाना क्षेत्र रानी की सराय जनपद आजमगढ़ निवासिनी एक महिला ने थाना रानी की सराय पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 18.11.20 को समय 08.00 बजे सुबह को अभियुक्त मुकेश कुमार चौरसिया पुत्र कन्हैया लालग्राम विशुनापुर थाना रिसियां जनपद बहराइच ने मेरी लड़की को अकेला पाकर छेड़खानी करने लगा जिससे घबड़ाकर मेरी लड़की चिल्लाने लगी शोरगुल सुनकर गांव के व्यक्ति आये और बीच बचाव किये । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 167/20 धारा 354 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट बनाम मुकेश कुमार चौरसिया पुत्र कन्हैया लाल ग्राम विशुनापुर थाना रिसियां जनपद बहराइच पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना उ0नि0 संजय कुमार सिंह के द्वारा सम्पादित की जा रही थी ।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं महिलाओं से सम्बन्धित अपराध के रोकथाम के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय श्री रामायण सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह मय हमराही फोर्स के साथ रात्रि गश्त में अपराध एवं अपराधियों के बारे में बातचीत हो रही थी कि मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि मु0अ0स0 167/20 धारा 354 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मुकेश कुमार चौरसिया पुत्र कन्हैया लाल ग्राम विशुनापुर थाना रिसियां जनपद बहराइच कही जाने के फिराक में है जो कोटिला आंवक मोड़ के पास किसी वाहन का इन्तजार कर रहा है । इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल मौके पर पहुँच कर अभियुक्त मुकेश कुमार चौरसिया पुत्र कन्हैया लाल ग्राम विशुनापुर थाना रिसियां जनपद बहराइच को समय 06.05 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

गिरफ्तारी का स्थान, समय तथा दिनांक

दिनांक 19.11.2020 को कोटिला आँवक मोड़ के पास से समय 06.05 बजे

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 167/20 धारा 354 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

मुकेश कुमार चौरसिया पुत्र कन्हैया लाल ग्राम विशुनापुर थाना रिसियां जनपद बहराइच ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 संजय कुमार सिंह, का0 अंगद गौड़, का0 दीपांशु थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।

थाना सिधारी**आपरेशन मुस्कान अन्तर्गत गुमशुदा लड़की को उसके परिजन को सुपुर्द किया गया**

दिनांक 17.11.2020 को रिजवाना बानो पुत्री मो0 अच्छे निवासी बदेस्ता कला थाना फूलपुर जिला प्रयागराज अपने परिजन के साथ सफर करते वक्त गुम हो गई थी ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन मुस्कान अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश कुमार के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र द्वारा गुमशुदा लड़की रिजवाना बानो पुत्री मो0 अच्छे निवासी बदेस्ता कला थाना फूलपुर जिला प्रयागराज के परिजन का पता पूछने पर बताने में असमर्थ थी देखने से रिजवाना उपरोक्त लड़की मानसिक रूप से कमजोर लग रही थी । रिजवाना को मिठाई व खाना खिलाने के बाद म0 आरक्षी के सुपुर्दगी में देकर अथक प्रयास व काफी मसकत के बाद रिजवाना के परिजन का पता निकाला गया व परिजन को सूचना देकर थाना बुलाकर सही सलामत रिजवाना उपरोक्त को उसके पिता मो0 अच्छे पुत्र मो0 हनीफ पता बदेस्ता कला थाना फूलपुर जिला प्रयागराज को सुपुर्द किया गया ।

थाना-अतरौलिया**01 अवैध तमंचा व 02 कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एव अवैध शस्त्र/अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ एव क्षेत्राधिकारी के कुशल निर्देशन में दिनांक 18/11/2020 को प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया के सतत पर्यवेक्षण में उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह , मय हमराह का0 रमाकांत गुप्ता , का0 मो0 कमाल व का0 वीरेंद्र यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दयाराम विश्वकर्मा पुत्र दरशु विश्वकर्मा निवासी पकड़ी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को सिकहुला डिबनिया मोड़ के पास से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय 15.00 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी एव बरामदगी के

आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 166/20धारा -3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त दयाराम विश्वकर्मा ने पूछताछ में बताया कि यह तमंचा अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखता हूँ।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 166/20धारा -3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

दयाराम विश्वकर्मा पुत्र दरशु विश्वकर्मा निवासी पकड़ी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष

बरामदगी

एक अदद देशी तमंचा व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह , का0 रमाकांत गुप्ता , का0 मो0 कमाल खा , का0 वीरेंद्र यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर

01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.11.2020को थानास्थानीय पर अभियुक्तगण विजय दूबे पुत्र श्रीनिवास दूबे निवासी दामोदरपुर थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़आदि केविरुद्धविद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा मु 0अ0सं0-252/2020धारा 323,504,506,332,353भा.द.वि पंजीकृत कराया गया है।

आज दिनांक19.11.2020को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी व.उ.नि. दवेन्द्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में उ.नि. अश्वनी कुमार मिश्र मय हमराहद्वारा पर मु 0अ0सं0-252/2020धारा 323,504,506,332,353भा.द.विसे सम्बन्धित वांछित अभियुक्तविजय दूबे पुत्र श्रीनिवास दूबे निवासी दामोदरपुर थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़अभियुक्त के घर ग्राम दामोदरपुर से समय 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-252/2020धारा 323,504,506,332,353भा.द.विथाना मुबारकपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त - विजय दूबे पुत्र श्रीनिवास दूबे निवासी दामोदरपुर थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –उ.नि. अश्वनी कुमार मिश्र थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़

थाना जहानागंज

दो नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.11.2020 को गुल्लू यादव s/o श्री देवनाथ यादव ग्रा0 गोडसर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय मे मु 0अ0सं0 247/20 धारा 504/506/307 भादवि बनाम 1. मानवेन्द्र सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह. 2. विजय सिंह पुत्र स्व0 शिवनरायन सिंह साकिनान ग्राम शाहपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ व दो बदमाश और नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 19.11.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्येक्षण मे मु0अ0सं0 247/20 धारा 504/506/307 भादवि के प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक 19.11.2020 को समय करीब 06.05बजे अभियुक्तगण1. सतीश सिंह उर्फ छोटू पुत्र प्रदीप सिंह निवासी ग्राम धनहुँआ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 2. अफरोज अन्सारी पुत्र शब्बीर अन्सारी ग्राम मच्छटी थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर को मन्दे पीकेट से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण:-सतीश सिंह उर्फ छोटू पुत्र प्रदीप सिंह नि 0ग्राम धनहुँआ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष बदरियाफ्त जुरम इकबाल कर अपनी गलती की बार- बार माफी मांगते हुए बता रहा है कि साहब दिनांक 13.11.20 को गोडसर मेला मे गुल्लू यादव पुत्र देवनाथ यादव ग्राम गोडसर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ मेरे दोस्त विजय सिंह पुत्र स्व0 शिवनरायन सिंह ग्राम शाहपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ व मानवेन्द्र सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह ग्राम शाहपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को गाली गुप्ता दिया था इसी बात को लेकर दिनांक 14.11.20 को अपने दोस्त अफरोज अन्सारी व विजय सिंह. मानवेन्द्र सिंह के साथ हम लोग गोडसर के गुल्लू यादव के घर पर गये और गुल्लू यादव को जान से मारने के लिये मेरे दोस्त विजय सिंह व मानवेन्द्र सिंह ने अपने अपने लिये असलहे से गोली चलाया था परन्तु गोली गुल्लू यादव को न लग कर गोली किसी और को लग गयी थी। अफरोज अन्सारी पुत्र शब्बीर अन्सारी सा0 मच्छटी थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष बदरियाफ्त जुरम इकबाल कर अपनी गलती की बार- बार माफी मांगते हुए बता रहा है कि साहब बबुरा मे किराये का कमरा लेकर रहता हूँ और चारो तरफ घुम फिरकर झाड़ फूक का काम करता हूँ और सतीश सिंह उर्फ छोटू के ढाबा धनहुँआ पर भोजन करने जाया करता था उसी बीच सतीश सिंह से दोस्ती हो गयी और दिनांक 13.11.20 को गोडसर मेला मे गुल्लू यादव पुत्र देवनाथ यादव ग्राम गोडसर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने सतीश सिंह के दोस्त विजय सिंह पुत्र स्व0 शिवनरायन सिंह ग्राम शाहपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ व मानवेन्द्र सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह ग्राम शाहपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को गाली गुप्ता दिया था से सतीश सिंह ने बताया कि गुल्लू को जान से मारना है उसने मेरे दोस्तों को

गाली गुप्ता दिया है और बेइज्जत किया है। इसी बात को लेकर दिनांक 14.11.20 को हम लोग गोड़सर के गुल्लू यादव के घर पर गये थे विजय सिंह व मानवेन्द्र सिंह ने अपने अपने साथ लिये असलहे से लक्ष्य कर फायर किया परन्तु गुल्लू यादव बच गया था और गोली किसी और को लग गयी थी। हम लोग वहा से अपनी अपनी मोटर साइकिल से भाग गये थे।

पंजीकृत अभियोग:- 1- मु0अ0सं0 247/20 धारा 504/506/307 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:- 1. सतीश सिंह उर्फ छोटू पुत्र प्रदीप सिंह निवासी ग्राम धनहुँआ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 2. अफरोज अन्सारी पुत्र शब्बीर अन्सारी ग्राम मच्छटी थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1- उ0नि0 रमेश कुमार पटेल थाना- जहानागंज, आजमगढ़।

थाना-कन्धरापुर

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार/

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाये गये अभियान वांछित / गैंगेस्टर चोर लुटेरा नकबजन के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 164/2020 धारा 507 भादवि व 66घ आई0टी0 थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शम्स परवेज आजम पुत्र मो0 ईशा नि0 बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 19/11/2020 को समय 11.40 बजे सुबह भंवरनाथ पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. शम्स परवेज आजम पुत्र मो0 ईशा नि0 बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SHO दिनेश कुमार सिंह थाना-कन्धरापुर, जनपद-आजमगढ़।

थाना कोतवाली देवगाँव

लूटी गयी इनोवा गाड़ी के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28.08.2020 को आवेदक सुनील यादव पुत्र भूखन यादव निवासी बैघरा थाना महाराजगंज आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रार्थनापत्र दिये कि दिनांक 26.08.2020 को अभियुक्त अरविन्द मिश्रा द्वारा खुद की इनोवा गाड़ी न. डीएल 04 सी ईई 8141 को बुक करके ले जाना ड्राइवर को असलहा सटाकर हाथपैर बाधकर सरपत में फेक कर गाड़ी लेकर भाग गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 187/2020 धारा 392 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. त्रिभुवन सिंह चौकी प्रभारी पल्हना द्वारा की गयी।

पुलिस अधीक्षक द्वारा गाड़ी की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कई टीम बनाई गयी थी जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी के कुशल नेतृत्व में प्र0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराहको लेकर मु0अ0सं0 187/2020 धारा 392/120बी भादवि के वांछित अभियुक्तगण की तलाश एव सुरागरसी करता हुआ ग्राम परसूपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ जा रहा था कि शेरपुर बाजार के पास पहुँचा तो जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि दिनांक 26.08.2020 को आपके थाना क्षेत्र से जो इनोवाकार लूटी गयी थी उसमें शामिल एक अभियुक्त अरविन्द मिश्रा पुत्र रामस मिश्र नि0 परसूपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ इसी शेरपुर बाजार में खड़ा है। जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है और गाड़ी भी बरामद हो सकती है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचा तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखायी दिया तत्काल उस व्यक्ति को भागने का मौका दिये विना हमराही कर्म0गण की मदद से पकड लिया गया तथा नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अरविन्द मिश्रा पुत्र रामस मिश्रा नि0 परसूपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ बताया। चूकि अरविन्द मिश्रा उपरोक्त थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 187/2020 धारा 392/120बी भादवि में वांछित अभियुक्त है अतः कारण गिरफ्तारी बताकर दिनांक 18.11.2020 को समय लगभग 17.45 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। इस अभियोग में लूटी गयी इनोवा कार नं0 DL4CAE8141 के वारे में कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि इनोवा गाड़ी ग्राम समेदा थाना सिधारी आजमगढ़ पिकू सिंह उर्फ सैनिल सिंह उपरोक्त के दरवाजे पर ढककर रखी हुयी है अभियुक्त को साथ लेकर बताये गये स्थान से इनोवा गाड़ी को बरामद किया गया गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को वाद आवश्यक कार्यवाही मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1- अरविन्द मिश्रा पुत्र रामस मिश्र नि0 परसूपुर थाना जहानागंज आजमगढ़

बरामदगी:- इनोवा गाड़ी DL4CAE8141, चे0न0 MJB11JV4007068089 तथा इं0न0 2KD9888495

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.स. 187/2020 धारा 392/120बी / 411/419/420/467/468/471 भादवि थाना देवगाँव आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र.नि. संजय कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़
2. उ.नि. त्रिभुवन सिंह चौकी प्रभारी पल्हना थाना देवगाँव आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में आज दि० 19.11.2020 विवेचक मय हमराही कर्मचारी गण के मौके से प्रस्थान कर अभियुक्त गण के गिरफ्तारी हेतु उनके घर पर आया परन्तु दस्तेयाब नहीं हुए , SI मय हमराही कर्म० गण देखभाल क्षेत्र तथा पुलिस अधीक्षक के आदेश के अभियान के क्रम में तलाश वांछित/वारंटी व पेंडिंग विवेचना हेतु क्षेत्र में मामूर था तो ज्ञात हुआ कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 246/20 धारा 354 , 323, 504 IPC से सम्बन्धित अभियुक्तगणों द्वारा चार-चार लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटना कारित की गयी है , जिससे गांव के लोगो में काफी आक्रोश व्याप्त है , अतः उ०नि० मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगणों की बउम्मीद गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर था कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु०अ०सं० 246/20 धारा 354, 323, 504 IPC से सम्बन्धित एक अभियुक्त राममिलन यादव पुत्र हरिराम यादव साकिन मोतीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ मोतीपुर गांव के बाहर गन्ने के खेत में मौजूद है , यदि आप जल्दी करेंगे तो मिल सकता है । उक्त सूचना पर विश्वास कर उ०नि० मय हमराही कर्मचारी गण मय मुखबीर को साथ लेकर तत्काल प्रस्थान कर मोतीपुर गांव के बाहर एक गन्ने के खेत के पास पहुँचा तो मुखबीर गन्ने के खेत में छिपे एक लड़के की ओर इशारा कर हटबढ़ गया कि हम पुलिस वाले छिपते छिपाते एकबारगी दबिश देकर व घेरकर उस लड़के को गन्ने के खेत में ही पकड़ लिया गया । पकड़े गये लड़के से उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम राममिलन यादव पुत्र हरिराम यादव साकिन मोतीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया । पकड़ा गया व्यक्ति मुकदमा उक्त का नामित एवं धारा 354, 504, 323 IPC का वांछित अभियुक्त है । कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 09.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया ।

पूछताछ का विवरण- बदरियाफ्त राममिलन यादव पुत्र हरिराम यादव साकिन मोतीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष पूछने पर जुर्म से इंकार करते हुए अपना सफाई बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा० न्यायालय में देना बता रहा है । अभियुक्त का उक्त कृत्य 246/20 धारा 354, 323, 504 IPC के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

पंजीकृत अभियोग- 246/20 धारा 354, 323, 504 IPC, थाना- महाराजगंज, आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- राममिलन यादव पुत्र हरिराम यादव साकिन मोतीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- SHO श्री गजानन्द चौबे के नेतृत्व में उ०नि० हौसिला प्रसाद सिंह, हे०का० उमाकान्त यादव, का० रामसरन